

Site Inspection report of DCF

Date of Inspection : 29-07.2022

For the purpose of construction of retail outlet, a proposal for diversion of **0.029715 ha** forest land has been submitted by Shri Ritesh Kumar under the Forest Conservation Act, 1980. The site has been inspected in the presence of the user-agency. The proposed retail outlet is on Buxar- Bare More-Chausa Road (SH-13) – which is declared as Protected Forest vide Government of Bihar notification no.189E/190E, dated 16.02.1994. The retail outlet is proposed to be established on Khata no: 08, Khesra no: 244 (Old), 245(Old), 246(Old), 250(Old), 192(New) Thana no: 300, Thana: Mufasil, District: Buxar. For building access roads (entry/exit) connecting the retail outlet with the State Highways, the proposal has been submitted to divert the forest land falling adjacent to the said site road. There are 30 trees present on the site. The user agency has submitted Tree Protection Plan for the same, which has been attached herewith. As per the measurement made on the field, the total land proposed to be required for entry and exit path of the fuel station is **0.029715 ha**.

There is no rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the proposed area. Neither any archaeological/heritage site / defense establishment is present near the proposed outlet. There is no National Park/ Wildlife Sanctuary situated in and around the proposed site.

On the date of inspection, it was found that no work in violation of the Forest Conservation Act, 1960 has been carried out. The proposed forest area for diversion is the barest minimum and necessary for the development of transport sector.


Divisional Forest Officer,
Bhojpur Forest Division, Ara.

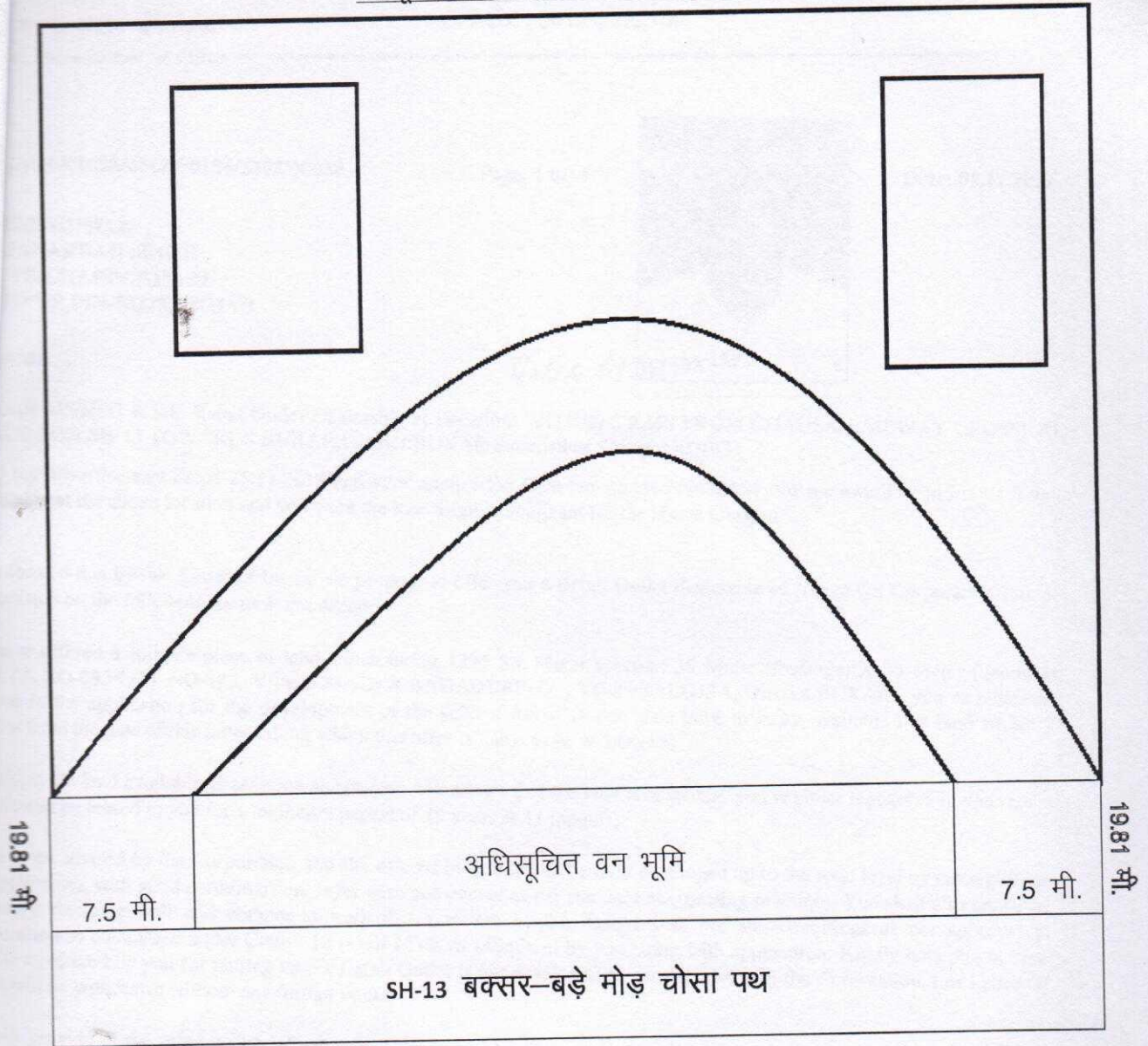
Tree Enumeration

Sl. No.	Species	Girth (Cm)	To be Cut	To be Translocate	To be Remaining
1	Shisham	90	-	-	√
2	Shisham	65	-	-	√
3	Shisham	60	-	-	√
4	Shisham	60	-	-	√
5	Shisham	40	-	-	√
6	Shisham	40	-	-	√
7	Karanj	50	-	-	√
8	Karanj	50	-	-	√
9	Karanj	50	-	-	√
10	Karanj	40	-	-	√
11	Karanj	40	-	-	√
12	Karanj	40	√	-	-
13	Karanj	30	√	-	-
14	Karanj	30	√	-	-
15	Babul	130	-	-	√
16	Babul	130	-	-	√
17	Babul	130	-	-	√
18	Babul	130	-	-	√
19	Babul	130	-	-	√
20	Babul	60	-	-	√
21	Babul	60	-	-	√
22	Babul	60	-	-	√
23	Babul	60	-	-	√
24	Babul	60	-	-	√
25	Babul	60	-	-	√
26	Babul	60	√	-	-
27	Babul	50	√	-	-
28	Babul	50	√	-	-
29	Babul	30	-	-	√
30	Babul	30	-	-	√
			6	0	24

Abstract

Total Plant	To be Cut	To be Translocate	To be Remaning
30	6	0	24

बक्सर जिलान्तर्गत बहादुरपुर मौजा के खाता संख्या-8, प्लॉट संख्या-244(पु.), 245(पु.), 246(पु.), 250(पु.), 192(नया), थाना संख्या-300, थाना-मुफसिल में SH-13 बक्सर-बड़े मोड़ चोसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट खोलन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का स्थल गणना विवरणी-



अपयोजन की विवरणी-

(क) प्रवेश पथ- 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.81 मी. = 148.575 वर्ग मी.
 (ख) निकास पथ - 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.81 मी. = 148.575 वर्ग मी.
 कुल अपयोजित होने वाली वन भूमि- प्रवेश (क) + निकास (ख) = 297.150 वर्ग मी.
 अर्थात् कुल 0.029715 हे.

[Signature]
 DIVISIONAL FOREST OFFICER
 BHOJPUR FOREST DIVISION AREA

Ritesh Kumar
 (रितेश कुमार)



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय, वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना।

अरण्य भवन, द्वितीय तल, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (साईडिंग रोड) पटना- 800014

Email: cfpatnacircle@gmail.com

पत्रांक- 1249/

डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।



सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक 24/9/2022

विषय:-

श्री रितेश कुमार द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत बहादुरपुर मौजा के खाता संख्या-08, खेसरा संख्या-244 (पु०), 245 (पु०), 246 (पु०), 250 (पु०), 192 (नया), थाना संख्या-300, थाना-मुफसिल में SH-13 बक्सर बड़े मोड़ चौसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.029715 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :-

आपका कार्यालय ज्ञापांक-490 दिनांक-03.06.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1512 दिनांक-22.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा का पत्रांक-1744 दिनांक-20.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री रितेश कुमार द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत बहादुरपुर मौजा के खाता संख्या-08, खेसरा संख्या-244 (पु०), 245 (पु०), 246 (पु०), 250 (पु०), 192 (नया), थाना संख्या-300, थाना-मुफसिल में SH-13 बक्सर बड़े मोड़ चौसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.029715 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित वृक्षों का पुर्नस्थापन/पातन से संबंधी प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष वृक्ष सुरक्षा योजना का प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना का ज्ञापांक-870 दिनांक-05.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कुल-30 वृक्षों में से 24 वृक्ष यथावत रखने तथा छः (06) वृक्ष (03 बबुल और 3 करंज) को पातन की अनुशंसा की गई है।

अनु०- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(डॉ० गोपाल सिंह)



5

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

कानन कोठी, धनुपरा, आरा, पिन-802301, E-mail - dfobhojpurfddivision@gmail.com

पत्रांक- 1744 /

प्रेषक,

राज कुमार. एम., भा0ब0से0
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

21/8

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

दिनांक 20 / 09 / 2022

विषय :-

श्री रितेश कुमार द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत बहादुरपुर मौजा के खाता संख्या- 08, खेसरा संख्या- 244 (पु0), 245 (पु0), 246 (पु0), 250 (पु0), 192 (नया), थाना संख्या- 300, थाना- मुफसिल में SH- 13 बक्सर बड़े मोड़ चौसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.029715 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय का पत्रांक FC/65/2022-490 दिनांक 03.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र की कंडिका 04 के आलोक में श्री रितेश कुमार द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत बहादुरपुर मौजा के खाता संख्या- 08, खेसरा संख्या- 244 (पु0), 245 (पु0), 246 (पु0), 250 (पु0), 192 (नया), थाना संख्या- 300, थाना- मुफसिल में SH- 13 बक्सर बड़े मोड़ चौसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.029715 हे. वन भूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित वृक्षों का पुनर्स्थापन/पातन से संबंधित प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इस क्रम में इस कार्यालय का ज्ञापांक 1536 दिनांक 13.08.2022 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष वृक्ष सुरक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना का ज्ञापांक 870 दिनांक 05.09.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुसार कुल 30 वृक्षों में से 24 वृक्ष यथावत रखने तथा शेष छः (06) वृक्ष (03 बबुल और 03 करंज) को प्रयोक्ता एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर पातन की अनुशंसा की गई है।

अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1537 दिनांक 13.08.2022 की कंडिका 04 के आलोक में समिति द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

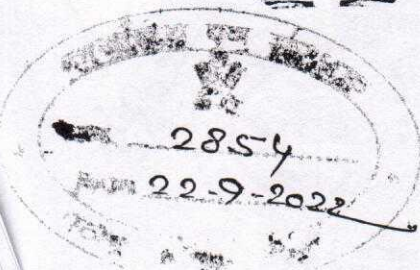
विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

D:\2022\Petrol Pump\Letter\08-09-2022.docx

जल शक्ति अभियान-संचय जल, बेहतर कल

sale
21-9-22



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 03.09.2022 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में आहूत वृक्ष सुरक्षा योजना की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०,	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	 अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सचिव सदस्य सचिव सदस्य सचिव आमंत्रित सदस्य
2. डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०,	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	
3. एस० सुधाकर, भा०व०से०	वन संरक्षक, गया अंचल, गया	
4. श्री अम्बरीष कुमार मल्ल, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	
5. श्री अम्बरीष कुमार मल्ल, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	
6. श्री राजीव रंजन, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	
7. श्री शशिकांत कुमार, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	

कार्यवाही :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.10.2019 द्वारा गठित समिति की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। उक्त बैठक में वन प्रमंडल गया/पटना/भोजपुर वन प्रमंडलों के तहत वनभूमि/सरकारी गैर वनभूमि पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पुनर्स्थापन/पातन अनिवार्य/अपरिहार्य हो गया है, उनके पुनर्स्थापन/पातन पर विचार हेतु उक्त प्रमंडलों के अधीन निम्न परियोजनाओं के लिए वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-

1. **Construction of State Guest House, Bodhgaya, Gaya (EPC Basic) के निर्माण कार्य स्थल अन्तर्गत अवस्थित वृक्षों के स्थानान्तरण के संबंध में।**

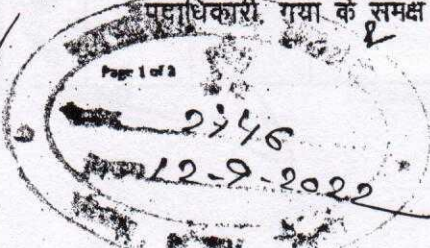
गया वन प्रमंडल, गया जिलान्तर्गत Construction of State Guest House, Bodhgaya, Gaya (EPC Basic) के निर्माण कार्य स्थल अन्तर्गत अवस्थित वृक्षों के पुनर्स्थापन से संबंधित प्रस्ताव हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके पत्रांक 4217 दिनांक 20.08.2022 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं बैठक में उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र. सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	वृक्ष स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	कार्यपालक अभियंता संरचना प्रमंडल, पटना-01 भवन निर्माण विभाग, पटना।	Construction of State Guest House, Bodhgaya, Gaya (EPC Basic) के निर्माण कार्य स्थल अन्तर्गत अवस्थित वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन के संबंधित प्रस्ताव।	60	60	0	0	

समिति के अनुशास-

विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 60 वृक्षों में से सभी 60 वृक्षों के पुनर्स्थापन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प०व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प०व०, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीविता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।



2. Construction of J.P Ganga path from Digha to Deedarganj (20.5) at Patna in the State of Bihar on EPC mode-Regarding translocation of 31 nos. of trees within the alignment of J.P. Ganga Path.

पटना जिलान्तर्गत Construction of J.P Ganga path Digha to Deedarganj (20.5) at Patna in the State of Bihar on EPC mode-Regarding translocation of 31 nos. trees within the alignment of J.P. Ganga Path., पटना के निर्माण कार्य में बाधक बने विभिन्न प्रजातियों के कुल 32 वृक्ष हैं, जिसमें 09 वृक्षों का पातन तथा 23 वृक्षों के पुनर्स्थापन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके झापांक 2678 दिनांक 30.08.2022 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं बैठक में उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है-

क्र. सं.	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	महाप्रबंधक (तर्फ 0) बिहरी स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., पटना।	Construction of J.P Ganga path Digha to Deedarganj (20.5) at Patna in the State of Bihar on EPC mode-Regarding translocation of 31 nos. of trees within the alignment of J.P. Ganga Path	32	23	0	09	

समिति के अनुशंसा-

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 32 वृक्षों में से 23 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 09 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/५०५, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) ५०५०, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
 3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
 4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
 5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
3. श्री रितेश कुमार द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत रिटेल आउटलेट स्थापना के क्रम में पहुँच पथ निर्माण कार्य में बाधक बने 30 वृक्षों यथास्थिति/पातन किये जाने के संबंध में।

बक्सर जिलान्तर्गत श्री रितेश कुमार द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापना के क्रम में पहुँच पथ निर्माण कार्य में बाधक बने 30 वृक्षों यथास्थिति/पातन हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके पत्रांक 1536 दिनांक 13.08.2022 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं बैठक में उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार यथा स्थिति/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है-

क्र. सं.	वन प्रमंडल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	रितेश कुमार, पिता- जनार्दन सिंह, ग्राम-पौ०- चरपोखरी, जिला-भोजपुर, पिन- 802223 मो० नं० 8002803694	रिटेल आउटलेट स्थापना के क्रम में पहुँच पथ निर्माण कार्य का प्रस्ताव।	30	0	24	06	

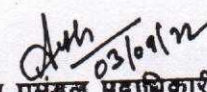
समिति के अनुशंसा-

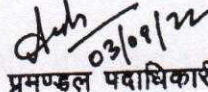
विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-

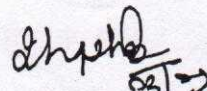
1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 36 वृक्षों में से 24 वृक्षों को यथास्थिति रखते हुए 06 वृक्षों के पातन के कार्य उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0य, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) प0य0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई0) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अगुजा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

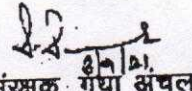
बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

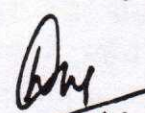

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल,
गया।

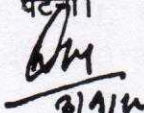

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना वन प्रमंडल,
पटना।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमंडल,
आरा


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल,
पटना।


वन संरक्षक, गया अंचल,
गया।


वन संरक्षक, पटना अंचल,
पटना।


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना



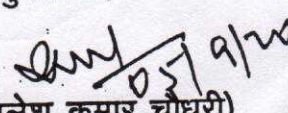
कार्यालय-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।

राईडिंग रोड (पीर अली मार्ग), अरण्य भवन, द्वितीय तल, पटना-800014
दूरभाष संख्या-0612-2226144; ई-मेल: patnarccf@gmail.com

ज्ञापांक:- 870

पटना, दिनांक:- 5 / 9 / 2022 ई०।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना/भोजपुर/गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिथिलेश कुमार चौधरी)
उप वन संरक्षक